न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
67 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022	20.07.2022	30.12.2022

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
............आवेदक

बनाम

1—श्री अब्दुल रईस पुत्र श्री अब्दुल हाफीज एफ.बी.ओ. मैसर्स स्टार किराणा मर्चेन्ट काफला मस्जिद के पास काफला बाजार टोंक जिला टोंक राज. निवासी वार्ड नं0 39 मोहल्ला शोरगरान सुभाष बाजार टोंक जिला टोंक राज.
2—श्री गोविन्द नारायण गर्ग पुत्र श्री लादूराम गर्ग प्रोपरायटर मैसर्स रामपाल गोविन्द नारायण शेर अली खाँ की गली बड़ा कुआँ टोंक राज. निवासी जैन मन्दिर के सामने रघुनाथपुरी बड़ा तख्ता टोंक जिला टोंक राज.
3—श्री अंकित गुप्ता पुत्र श्री कमलेश कुमार गुप्ता प्रोपरायटर मैसर्स विनायक ट्रेडर्स दुकान नं. 14 त्रिवेणी कॉम्पलेक्स, खातीपुरा रोड झोटवाडा जयपुर राज. एव पार्टनर मैसर्स श्री विनायक सेन्ट्रल कॉलोनी दुकान नं. 18—19, प्लॉट नं0 81, रोड नं0 8, वीकआई एरिया जयपुर राज. निवासी फ्लैट नं0 501, विश्वास 24, महावीर नगर, जयपुर राज.।
4—श्री राजेश कुमार शोरे नॉमिनी मैसर्स मिल्क फूड लिमिटेड ग्राम बहादुरगढ, पटियाला, पंजाब निवासी बी—30 / 822, पुरी रोड, आर्य समाज, पटियाला पंजाब।
5—मैसर्स मिल्क फूड लिमिटेड ग्राम बहादुरगढ़, पटियाला, पंजाब ।

..............अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—
1—पेरोकार सरकार।
2—अप्रार्थीगण की ओर से श्री पवन कुमार उप.।

:—**निर्णय**—: **दिनांक 30.12.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 31.10.2021 को समय दोपहर 12.41 पी.एम पर मैसर्स स्टार किराणा मर्चेन्ट काफला मस्जिद के पास काफला बाजार टोंक जिला टोंक (राज0) पर पहुँचा। वहाँ पर श्री अब्दुल रईस पुत्र श्री अब्दुल हाफीज मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री अब्दुल रईस ने स्वयं को मैसर्स स्टार किराणा मर्चेन्ट काफला मस्जिद के पास काफला बाजार टोक जिला टोक (राज0) का प्रोपरायटर / मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री अब्दुल रईस की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **घी मिल्क फूड एगमार्क ब्राण्ड** दुकान की रैक में 449—449 ग्राम के 29 नग मूल पैक रखे

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

हुये थे जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री अब्दुल रईस को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह **घी मिल्क फूड एगमार्क ब्राण्ड** जिसके बैच नं. आर 207 एवं पैकिंग की दिनांक 07.08.2021 थी, वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु कय किया जा रहा है, 449–449 ग्राम के 4 नग मूल पैक खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी मिल्क फूड एगमार्क ब्राण्ड** 449–449 ग्राम मूल पैक को ज्यों का त्यों खाकी कागज से लपेटकर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2965 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता श्री अब्दुल रईस तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप में आई–2965 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारो नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपड़ी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर नमूना क्रय करते समय श्री अब्दुल रईस स्टोर मैनेजर मैसर्स स्टार किराणा मर्चेन्ट काफला मस्जिद के पास काफला बाजार टोक जिला टोक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स रामपाल गोविन्द नारायण शेर अली खाँ की गली बडा कुआं टोंक का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/210 दिनांक 31.01.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुर से प्राप्त जांच रिपोट सं. एल.एस. /1645/एक्ट/2021/39 दिनांक 07.01.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु कय किया गया **घी मिल्क फूड एगमार्क ब्राण्ड** एफ.एस.एस.ए.की धारा 3(1)(zx) का उल्लंघन करने के कारण **अवमानक** (Sub-Standard) व **कॉन्ट्रावेन** (Contravene) स्तर का होना पाया गया जिसकी सूचना अप्रार्थीगणों को भिजवायी गयी।

वारंटी होने के कारण आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स रामपाल गोविन्द नारायण शेर अली खॉ की गली बड़ा कुआँ टोक को पत्र प्रेषित कर फार्म नं. 5 ए की सूचना आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने पत्र प्रेषित किया। जिसके प्रतिउत्तर में फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

के दस्तावेज खाद्य अनुज्ञा पत्र, जीएसटी रजि. व प्रोपरायटर के आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ–साथ बतौर वारन्टी मैसर्स विनायक ट्रेडर्स दुकान नं. 14 त्रिवेणी कॉम्पलेक्स, खातीपुरा रोड झोटवाडा जयपुर का खरीद बिल प्रेषित कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ करना बताया। मैसर्स ट्रेडर्स दुकान नं. 14 त्रिवेणी कॉम्पलेक्स, खातीपुरा रोड झोटवाडा जयपुर ने मैसर्स मिल्क फूड लिमिटेड ग्राम बहादुरगढ़, पटियाला, पंजाब का बिल पेश कर उक्त फर्म को उक्त घी का निर्माता बताया।

खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज. जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के विरुद्ध मैसर्स मिल्क फूड लिमिटेड ग्राम बहादुरगढ़, पटियाला, पंजाब के व्यवहारी ने धारा 46 (4) के अंतर्गत नमूना पुनः जाँच करवाने हेतु अपील आवेदन किया जिस पर नमूना पुनः जांच करवाने हेतु निदेशक रेफरल फूड लैब मैसूर भिजवाया गया।

निदेशक रैफरल फूड लैब मैसूर की जाच रिपोर्ट क्रमांक एफटी/एक्यूसीएल/एफ.एस.एस.ए/177 एफ/2022 दिनांक 24.05 2022 के अनुसार उक्त नमूना एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zx) के उल्लंघन के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** पाया गया जो कि अन्तिम रूप से माना हैं जिसकी सूचना अप्रार्थीगणों को रजिस्टर्ड डाक से भिजवायी गयी। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से निर्माता फर्म के प्रतिनिधि श्री पवन कुमार उपस्थित हुए एवं बहस की एवं बहस में अप्रार्थीगण की ओर से जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **घी मिल्क फूड एगमार्क ब्राण्ड** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण के प्रतिनिधि एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **घी मिल्क फूड एगमार्क ब्राण्ड** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा व 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 50,000/–(अक्षरे पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 30.12.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट